

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तामील में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तामील में जारी हुए

06/08

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट सहेडा में पेशाहुई।  
जमाबन्दी सं. 2069 से 2072 ग्राम-नंगला-चाहरा  
के अनुसार विवादित भूमि ख.नं. 130, 113 वाके  
ग्राम-नंगला-चाहरा वादीगण व प्रतिवादीगण  
की संयुक्त खातेदारी भूमि थी जिसका विभाजन  
इ.नं. 283 दिनांक 02.11.2012 से होकर वादी  
के अलावा प्रतिवादीगण के अलग-2 आई है।  
वर्तमान में वादी 1/1 राजेन्द्र ख.नं. 113/0.10 है  
व ख.नं. 130 वादी 1/2 नन्दकिशोर शर्मा 0.09 है  
वीरेन्द्र शर्मा 0.09 है, अनिल पुत्र सुखदेव शर्मा  
0.09 है. दर्ज है। मौके पर पण्डित रिपोर्टनुसार  
कोई विवाद वर्तमान में नहीं है। प्रकरण में  
यदि सीमाज्ञान संबंधी कोई विवाद है तो खातेदार  
तहसीलदार कामां के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत  
कर सीमांकन करावें। चूंकि प्रकरण में उल्लेखित  
विवादित ख.नं. की भूमि पृथक पृथक खातेदारों  
के नाम दर्ज है तथा मौके पर कोई विवाद नहीं है।  
अतः वाद अन्तर्गत धारा 188 RT Act इन्हीस्तर  
पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसलेशुमार  
(खसिल) होकर नम्बर से कम हो।

उक्त खसरा  
नम्बर 130,  
113 वाके जमा  
नंगला-चाहरा तहसील  
कामां वादीगण  
व प्रतिवादीगण  
की संयुक्त  
खातेदारी भूमि  
थी। जिसका  
विभाजन हो  
सुका है। वर्तमान  
में कोई विवाद  
नहीं है।

इ.प.नं.भां.प्रां  
9.6.18

09.06.18,  
SDO कामां  
Camp - Saheda